न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 25/2022 जिला सीकर ।

1. रघुनाथ सिंह पुत्र श्योबक्स सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम शिव नगर, ग्राम पंचायत कुशलपुरा, तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी, सीकर, राजस्थान।
2. तहसीलदार सीकर तहसील कार्यालय जिला सीकर राजस्थान।
3. ग्राम पंचायत कुशलपुरा, जरिये सरपंच, ग्राम कुशलपुरा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।
4. प्रहलाद सिंह पुत्र श्योबक्स सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम शिव नगर, ग्राम पंचायत कुशलपुरा, तहसील व जिला सीकर, राजस्थान।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 17.12.2021 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री बी.एस.राठौड
2. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 श्री श्याम बाबू पारीक
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक –11.04.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.12.2021 के खिलाफ दिनांक 14.02.2022 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने ग्राम शिवनगर, तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1132, 1133, 1173, 1172, 1177, 1263 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व 16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53/राजस्व/2016 दिनांक 2.11.2016 द्वारा दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम ठिकरिया के खसरा नम्बर 1132, 1133, 1173, 1172, 1177, 1263 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये।
2. न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के निर्णय दिनांक 17.12.2021 को निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

11/4/2022
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 3 की ओर से श्री श्यामबाबू पारीक एड. उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट, रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि ग्राम शिवनगर तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1173 रकबा 5.6900 हैक्टेयर स्थित है जिस पर अपीलार्थी अन्य सहकाश्तकार के साथ संयुक्त रूप से कब्जा काश्त कर उपयोग व उपभोग में लेते हुए आ रहे थे, उक्त कृषि भूमि से लगते हुए अन्य खसरा नम्बर संख्या 2387/1170, खसरा नम्बर संख्या 2388/1170, खसरा नम्बर संख्या 1171, खसरा नम्बर संख्या 1172 एवं खसरा नम्बर संख्या 1132, खसरा नम्बर संख्या 1133, खसरा नम्बर संख्या 1177 एवं खसरा नम्बर संख्या 1263 स्थित है, उक्त सम्पूर्ण खसराओं में स्थित भूमि में से सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने हेतु राजस्व रिकार्ड में गैर मु0 रास्ते के रूप में दर्ज करने हेतु प्रस्ताव ग्राम पंचायत कुशलपुरा, पंचायत समिति पिपराली द्वारा जरिये सरपंच दिनांक 22.10.2021 को पारित किया गया, जिस अनुसार ग्राम कुशलपुरा से शिव नगर होते हुए खिरोड सीमा तक के रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत लिया गया जिसमें खसरा नम्बर 1162, 1173, 1177,1223, 1261, 1263, 1171, 1172, 1175, 1176, 1133, 1106, 1131 एवं 1132 ग्राम शिवनगर से होकर गुजरता है, जिसको राजस्व अंकन किया जावे, उक्त प्रस्ताव के साथ ही ग्राम पंचायत कुशलपुरा द्वारा दिनांक 22.10.2021 को प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 22.10.2021 के बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिस पर तहसीलदार सीकर द्वारा मौके पर रास्ता स्थित होने के सम्बन्ध में फर्द मौका रिपोर्ट तलब की गई, जिसकी पालना में फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरिया नक्शा रिपोर्ट आने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 16.11.2021 को रास्ते का प्रस्ताव रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी, सीकर को प्रेषित करवाया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के केवल मात्र ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं तहसीलदार के पत्र को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश फरमाया गया है। उनका कहना है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 1173 के अपीलांट रिकार्डेड एवं कब्जाकाश्त खातेदारों को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना ही है बाला–बाला पंचायत प्रस्ताव को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार भी प्रभावित/खातेदार को सुना जाना आवश्यक था, जिसकी पालना किये बिना ही उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा राजनैतिक प्रभाव के चलते हुए अपीलाधीन आदेश पारित फरमाया गया है। जो की प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1173 दो भागों में विभाजित हो गया तथा एक हिस्सा काफी छोटी नाप का हो गया, जिसको उपयोग में लेना काफी कठिनाई पूर्ण हो गया है। प्रार्थी की भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा न मौके पर कोई रास्ता है। कुछ लोगों के राजनैतिक प्रभाव में आकर अनावश्यक रास्ते का लाभ दिये जाने की गरज से ही मुख्य रास्ता उत्तर से दक्षिण जिसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना था उसके बजाय पश्चिम से पूर्व की ओर अपीलार्थी के खसरा नम्बर 1173 के बीच में से रास्ता प्रस्तावित दर्शित किया गया है, जबकि उक्त प्रस्तावित रास्ते से अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि और कई टुकडों में विभाजित हो गई, जिस कारण से अपीलार्थी अपनी कृषि आराजीयात का उपयोग उपभोग नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरुद्ध होने से अपील

11/4/2022

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को निरस्त किया जावे ।

5. राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम शिव नगर, तहसील सीकर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1173 के खातेदारों की भूमियों में से होकर रास्ता जाने के कारण नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाते हुये रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने बाबत प्रस्ताव दिनांक 16.11.2021 को तहसीलदार सीकर ने रिपोर्ट पटवारी हल्का गुंगारा, नजरी नक्शा एवं जमाबन्दी की प्रति संलग्न् कर उप खण्ड अधिकारी सीकर को प्रेषित की थी जिस पर उपखण्ड अधिकारी सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 पारित कर विधि के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उनका कहना है कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

6. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 16.11.2021 के अनुसार ग्राम शिव नगर, तहसील सीकर जिला सीकर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1132, 1133, 1173, 1172, 1177, 1263 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट प्रश्नगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति हैं, जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार प्रभावित पक्षकारो को नोटिस जारी कर उन्हे सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 निरस्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी से प्रभावित पक्षकारो की सुनवाई कर विधि के प्रावधानों के तहत पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

11/4/2022

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/4/2022

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner